सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर- 272202
उ0प्र0 (भारत) Email Id sidunikapilvastu@gmail.com

पत्रांक 2056 /कु0स0का0/सि0वि0वि0/2020 दिनांक 13/02/2020

सेवा मे,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
जनपद–सिद्धार्थनगर।
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

विषय–विश्वविद्यालय की परीक्षा के दृष्टिगत जिलाधिकारी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के आदेश स0 1090/जे0ए0/2019–20 दिनाक 10 फरवरी, 2019 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट, विश्वविद्यालय की स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षाए एव धार्मिक त्योहारो के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा–144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू किया गया है। (आदेश की छायाप्रति सलग्न)

कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक–यथोपरि</u>।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–निजी सचिव, कुलपति, कुलपति महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2–वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3–कुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4–उपकुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
5–डॉ0 दीपक बाबू, प्रभारी, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, सिद्धार्थ वि0वि0, कपिलवस्तु,सिद्धार्थनगर।
6–कोडिंग सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं जनपद सिद्धार्थनगर के समस्त महाविद्यालयो के कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
7–सम्बन्धित पत्रावली मे संरक्षित हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

कार्यालय जिलामजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर।

आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट की परीक्षा दिनांक 18 02 2020 से प्रारम्भ होकर दिनांक 06 03 2020 को समाप्त होगी। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर एवं उनसे सबंधित महाविद्यालय की स्नातक / स्नातकोत्तर की तथा अन्य विभिन्न परीक्षाये भी विभिन्न तिथियो में सम्पन्न होगी। दिनांक 21 02 2020 को महाशिव रात्रि का पर्व मनाया जायेगा। दिनांक 09 03 2020 को होलिका दहन एव दिनांक 10 03 2020 को होली का त्यौहार भी मनाया जायेगा। उक्त अतिरिक्त पाय विभिन्न सगठनो, / राजनैतिक दलो, / किसान यूनियन / कर्मचारी सगठनो आदि द्वारा जुलूस / धरना / प्रदर्शन, अनशन, हड़ताल आदि किये जाने से भी शांति भग की सम्भावना बनी रहती है। उक्त अवसर पर पर्व ... सीमा से ... साम्प्रदायिक सोहार्द एव शांति व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है। यह जनपद नेपाल राष्ट्र की सीमा से ... साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं ... असामाजिक तत्वो द्वारा उक्त अवसरो पर ... दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा आदेश पारित किया जाना ... जनसाधारण की सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर न दे पाने के कारण ... उपरोक्त परिस्थितियो के दृष्टिगत ... एक पक्षीय रूप से ... कानून व्यवस्था एव शांति व्यवस्था कायम रखने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु ... अपने अधिकारो का प्रयोग करते हुए जनपद सिद्धार्थनगर परिसीमा मे निम्नलिखित ... मजिस्ट्रेट, जनपद–सिद्धार्थनगर ... निषेधाज्ञा पारित करता हूँ।

1. कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार अस्त्र– शस्त्र जैसे बन्दूक, आग्नेयास्त्र, राइफल, रिवाल्वर, / पिस्टल व भाला, तलवार फरसा, गुप्ती, चाकू आदि तथ अन्य धारदार हथियार व विस्फोटक पदार्थ जैसे बारूद, ... आदि लेकर ... और न ही पयोग, / प्रदर्शन करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को उकसायेगा अथवा प्रेरित करेगा।

   उक्त आदेश निम्नलिखित लोगो पर लागू नही होगा।

   i ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारी / कर्मचारी पर।

   ii सिक्ख सम्प्रदाय के लोग धार्मिक हथियार के रूप मे कृपाल धारण कर सकते है।

   iii वृद्ध, बीमार विकलाग, अपग, अथवा अन्धे व्यक्ति सहारे के लिए लाठी व छड़ी का पयोग कर सकते है।

2. कोई पॉच या पॉच से अधिक व्यक्तियो का अनाधिकृत समूह आदि नही बनायेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को उकसायेगा अथवा इसके लिए प्रेरित करेगा। मंदिर, मस्जिद, ईदगाह मे पूजा पाठ करने, नमाज पढ़ने तथा परम्परागत रूप से मनाये जाने वाले त्यौहार मे इसका प्रतिबन्ध नही रहेगा।

3. कोई भी व्यक्ति बिना किसी पूर्व अनुमति के किसी प्रकार का धरना / प्रदर्शन / हड़ताल / जनसभा / अनशन, रैली, / जुलूस आदि (त्यौहार मे निकाले जाने वाले परम्परागत जुलूस को छोड़कर) नही निकालेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को उकसायेगा अथवा प्रोत्साहित करेगा।

4. कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर के परिधि मे इकट्ठा नहीं होगा, न ही ... कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के अन्दर प्रवेश नही करेगा। परीक्षार्थी एव परीक्षा में ... अधिकारियो / कर्मचारियो एव पुलिस कर्मियो पर यह आदेश लागू नही होगा। परीक्षा के दृष्टिगत कोई व्यक्ति ऐसा कोई आचार–विचार / कार्य आदि नही करेगा, जिससे परीक्षा की शुचिता व निष्पक्षता प्रभावित हो। कोई व्यक्ति ऐसा करने के लिए न तो किसी को प्रोत्साहित अथवा प्रेरित करेगा।

5. परीक्षा केन्द्र के भीतर कोई भी परीक्षार्थी किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र अथवा कोई अवाछनीय वस्तु के साथ प्रवेश नही करेगा। परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी भी परीक्षार्थी / व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लेजर, स्कैनर, फोटो स्टेट मशीन आदि ले जाना अथवा रखना / प्रयोग करना, और कोई अनैतिक साधन आदि का प्रयोग पूर्णत प्रतिबन्धित किया जाता है। ऐसा करने के लिये कोई किसी को न तो प्रोत्साहित अथवा प्रेरित करेगा।

6. परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी भी प्रकार का मादक / विस्फोटक पदार्थ अथवा ऐसा पदार्थ जो परीक्षा के सफल सचालन मे बाधक हो न तो अन्दर ले जायेगा और न ही प्रयोग किया जायेगा। परीक्षा समाप्ति तक कोई भी परीक्षार्थी अथवा किसी व्यक्ति द्वारा प्रश्न पत्र न तो बाहर ले जायेगा और न तो कोई इसके लिए किसी को प्रोत्साहित करेगा अथवा प्रेरित करेगा।

7. परीक्षा केन्द्र के अन्दर न तो कोई परीक्षार्थी नकल करेगा और न ही नकल करने के लिए कोई भी व्यक्ति पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियो का अनाधिकृत समूह नही बनायेगा, ऐसा करने के लिए न तो किसी को कोई उकसायेगा अथवा प्रेरित करेगा।

8. कोई कक्ष निरीक्षक अथवा कोई भी व्यक्ति परीक्षा मे नकल आदि नही करायेगा। ऐसा करने के लिए न तो किसी को कोई उकसायेगा अथवा प्रेरित करेगा।

9 कोई भी व्यक्ति परीक्षा के दौरान नकल के उद्देश्य से परीक्षा केन्द्र के आस पास भीड नही लगायेगा, न ही परीक्षा केन्द्र के आस पास घूमेगा। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियो का समूह ऐसा करते हुए पाया जायेगा तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 का उलघन मानते हुए उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

10 कोई भी व्यक्ति सडक,रेल, मार्ग,कार्यालय ,पेट्रोल पम्प ,बैंक आदि का घेराव आदि नही करेगा, और न ही यातायात के आवागमन मे अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार साधन आदि मे अवरोध उत्पन्न करेगा। ऐसा करने के लिये कोई भी व्यक्ति किसी न तो उकसायेगा और न ही प्रोत्साहित करेगा।

11 कोई भी व्यक्ति, मार्केट,दुकाने,प्रतिष्ठान,कार्यालय,पेट्रोल पम्प आदि को बन्द नही करायेगा और न ही किसी सरकारी सम्पत्ति की क्षति,तोड–फोड आदि करेगा ,किसी का पुतला आदि नही जलायेगा। ऐसा करने के लिय कोई भी व्यक्ति किसी न तो उकसायेगा और न ही प्रोत्साहित करेगा।

12 कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यन्त्र जैसे–लाउडस्पीकर, डीजे आदि द्वारा ऐसा भाषण, प्रचार–प्रसार नही करेगा, और न ही ऐसा कैसेट या पोस्टर का प्रयोग करेगा, जिससे किसी के भी भावना को ठेस पहुँचे तथा शांति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना बने। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन मे रात्रि मे 10.00 बजे से लेकर सुबह 06.00बजे तक ध्वनि विस्तारक यत्रो/साधनो का प्रयोग प्रतिबन्धित है। कोई भी व्यक्ति इस सबंध मे न तो किसी को उकसायेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रोत्साहित करेगा।।

13 कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानो, मदिरों, मस्जिदो, ईदगाहो, सडक व मकान के छत आदि स्थानो पर ईट, पत्थर आदि,या शीशी–बोतल, कॉच के टुकडो का ढेर अवाछनीय वस्तु इकट्ठा नही करेगा, न फेकेगा और न ही ऐसा करने के लिए कोई किसी को उकसायेगा या प्रोत्साहित करेगा।

14 कोई भी व्यक्ति ऐसा भाषण या नारा आदि नही लगायेगा,अथवा ऐसा कोई अफवाह नही फैलायेगा, और न ही कोई ऐसा अथवा इसका प्रचार–प्रसार आदि करेगा,जिससे किसी की भावना को ठेस पहुँचे और शाति भग होने की सम्भावना बने। कोई भी व्यक्ति इसके लिए न तो किसी को उकसायेगा अथवा प्रोत्साहित करेगा।

15 कोई व्यक्ति किसी प्रकार के मानव/पशु तथा अवैध शराब आदि की तस्करी नही करेगा न ही अवैध रूप से पशुओ को एकत्रित करेगा। इसके लिए न तो कोई किसी को उकसायेगा अथवा प्रोत्साहित करेगा।

16 कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक/धार्मिक स्थलो यथा मंदिर गुरूद्वारा, मस्जिद/ईदगाह/जुलूस आदि के आस पास गोश्त, मास आदि नही फेकेगा और न ही किसी प्रकार का मदिरा आदि का पान ही किया जायेगा। ऐसा करने के लिये न तो कोई किसी को उकसायेगा अथवा प्रेरित करेगा। इसके अतिरिक्त मीट/मछली व्यवसायी,मास के अवशेष कतरे आदि को इधर–उधर नही फकेगे, वल्कि उसे कूडे दान आदि मे सुरक्षित रखकर उसे उचितढग से सुरक्षित स्थान पर नष्ट करेगे।

17 कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म मे भेद–भाव ,आदि का किसी प्रकार का कोई अफवाह आदि नही फैलायेगा, और न ही अन्य समुदायो मे किसी प्रकार का मनमुटाव आदि पैदा करेगा, और न ही इसके लिए किसी को उकसायेगा, और न ही इसके लिए किसी को प्रोत्साहित करेगा।

18 कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई ऐसा आचार–विचार घटना आदि सम्पादित नही करेगा, जिस कारण से धारा–133 सी0आर0पी0सी0 के तहत कार्यवाही करने की स्थिति उत्पन्न हो जाय।

19 धार्मिक अथवा पारम्परिक दृष्टिकोण से मनाये जाने वाले परम्परागत उत्सव शातिपूर्ण तरीके से आयोजित करने अथवा परम्परागत धार्मिक संस्कारो के सम्बन्ध मे उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू नही होगा, किन्तु आयोजनकर्ता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर कार्यक्रम शातिपूर्ण तरीके से मनायेग।

20 किसी भी व्यक्ति द्वारा सरकारी/निजी भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि पर बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये किसी भी दशा मे किसी देवी, देवता अथवा किसी महापुरूष की मूर्ति स्थापित नही करेगा और न ही ऐसा करने के लिए कोई किसी को उकसायेगा अथवा प्रेरित करेगा।

21 कोई भी व्यक्ति किसी महापुरूष, देवी, देवता आदि का प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप मे अनादर करने का प्रयास नही करेगा। जन सामान्य को भडकाने वाली अथवा दिग्भ्रमित करने वाली कोई अफवाह आदि नही फैलायेगा और न ही ऐसा करने के लिए कोई किसी को उकसायेगा अथवा प्रेरित करेगा।

22 किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्रो के प्रदर्शन अथवा किसी प्रकार के आयोजित होने वाले हर्ष समारोहो मे लाइसेंसी शस्त्रों का उपयोग प्रतिबंधित है। कोई भी लाइसेंसी शस्त्रों का प्रदर्शन नही करेगा और न ही किसी समारोह मे हर्ष फायरिंग करेगा और न ही ऐसा करने के लिए कोई किसी को उकसायेगा अथवा प्रोत्साहित करेगा।

23 कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति पर जबरदस्ती रग, गुलाल, कीचड, ईट पत्थर, कक्कड, गुब्बारे, पेंट आदि नही फेकेगा और न ही लगायेगा और न ही ऐसा करने के लिए कोई किसी को उकसायेगा अथवा प्रोत्साहित करेगा।

24 कोई भी व्यक्ति होली के अवसर पर गाने बजाने में अश्लील शब्दों का प्रयोग करके दूसरे व्यक्तियो / साम्प्रदाय के लोगो को ठेस नहीं पहुँचायेगा तथा दूसरे साम्प्रदाय के धार्मिक स्थलो अथवा व्यक्तियों पर रंग नही डालेगा और न ही राहगीरो / वाहन चालको आदि से जबरन चंदा आदि वसूलेगा ओर न ही ऐसा करने के लिए कोई किसी को उकसायेगा अथवा प्रोत्साहित करेगा।

25 कोई भी व्यक्ति किसी से अथवा वाहन चालकों आदि से जबरन चन्दा आदि नहीं वसूलेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को उकसायेगा और न ही प्रोत्साहित करेगा।

26 नई परम्परा / गैर परम्परा कार्यक्रम प्रतिबन्धित है। कोई भी व्यक्ति नई परम्परा / गैर परम्परागत कार्य / कार्यकम नही करेगा। ऐसा करने के लिये न तो कोई किसी को उकसायेगा अथवा प्रोत्साहित करेगा।

27 कोई भी ब्यक्ति सोसल मीडिया आदि पर किसी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पडी / सूचना, / चित्र / नारा आदि पोस्ट नही करेगा और न, ही अन्य कोई ऐसा पोस्ट करेगा; जिससे किसी की भावना आदि आहत हो। ऐसा करने के लिये न तो कोई किसी को उकसायेगा अथवा प्रोत्साहित करेगा।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से दिनांक 10.02.2020 से प्रभावी होगा और यदि इसे बीच मे वापस न ले लिया जाय तो दिनाक 15.03.2020 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश का उल्लघन धारा–188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश आज दिनांक 10.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर एव मुहर से जारी किया गया।

(दीपक मीणा)
जिलामजिस्ट्रेट,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक- 1010 / जे0ए0 / 2019–20 / दिनांक 10 फरवरी, 2020

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर को सूचनार्थ एव अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का अनुपालन कराने का कष्ट करे।
2 मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3 अपर जिलामजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर।
4 अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर।
5 समस्त उपजिलामजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर।
6 समस्त क्षेत्राधिकारी(पुलिस), जनपद सिद्धाथनगर।
7 जिला विद्यालय निरीक्षक, सिद्धार्थनगर।
8 समस्त परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, सिद्धार्थनगर।
9 जिला सूचना अधिकारी, सिद्धार्थनगर, को निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।
10.. रजिस्ट्रार सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु

10/2/2020
जिलामजिस्ट्रेट,
सिद्धार्थनगर।